प्रश्न सं. [क्र. 1602]

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1602
मा. विधायक का नाम - श्री निशंक कुमार जैन
सदन में उत्तर देने का दिनांक 26/07/2017

परिशिष्ट (अ)

(1)	(2)	(3)	(4)
		ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।	
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।	
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपए का एक बारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।	
11.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा । (2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । (3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।	

Deputy Director of Fisheries
Director of Fisheries
M.P. BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
मंत्रालय

परिशिष्ट–ब

जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक समितियों की जानकारी

क्र0	जिले का नाम	जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक समितियों की संख्या	लंबित प्रकरण
1	नीमच	3	0
2	देवास	2	0
3	बैतूल	1	0
4	मण्डला	1	0
5	धार	6	0
6	खरगोन	3	0
7	छतरपुर	5	0
8	छिन्दवाड़ा	11	0
9	टीकमगढ़	3	0
10	सागर	14	0
11	दमोह	6	0
12	झाबुआ	1	0
13	अलीराजपुर	4	0
14	शहडोल	1	0
15	जबलपुर	3	0
16	सिवनी	2	0
17	उज्जैन	1	0
18	सीहोर	3	0
	योग	70	0

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास निदेशालय
मंत्रालय

उप संचालक मत्स्योद्योग
सामान्य शाखा

भाग - दो
नीति एवं निर्देश
मछुआ सहकारी समितियों के संबंध में

परिशिष्ट-ख

प्राप्त की गई हो एवं समस्त सदस्यों के संबंध में उनके मछुआ होने का प्रमाणिकरण किया है या नहीं ।

1.6 **मछुआ परिचय पत्र**

प्रदेश के तालाब, जलाशयो एवं नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों तथा तालाब/जलाशयों में मत्स्य पालन/मत्स्याखेट करने वाले मत्स्य पालकों को जिला मद से मत्स्य पालन अधिकारी द्वारा परिचय पत्र प्रदाय किया जावेगा ।

2. **मछुआ सहकारी समितियों का गठन–**

2.1 **मत्स्य सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र/ प्रतिव्यक्ति जलक्षेत्र** स्थानीय /समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समितियों का गठन किया जावेगा। सदस्य संख्या के अनुसार निर्धारित जलक्षेत्रके आधार पर समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित होगा । जलक्षेत्र के अनुसार सदस्य संख्या बढानी होगी । कम जलक्षेत्र होने से उपयुक्तता के आधार पर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा पर समिति का पंजीयन हो सकेगा।

प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र का निर्धारण ।

क्र.	जलक्षेत्र श्रेणी	प्रति सदस्य जलक्षेत्र (औसत) आवंटन दर
	ग्रामीण तालाब	
2.1.1	बाराह मासी	1 हैक्टेयर
2.1.2	मौसमी	2 हैक्टेयर
	सिंचाई जलाशय	
2.1.3	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक	4 हैक्टेयर
2.1.4	1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के सभी जलाशय	10 हैक्टेयर

2.2 यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल वही व्यक्ति समिति के सदस्य बने जो वास्तव में मछुआरे हों तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों ।

2.3 **सिंचाई परियोजना पर विस्थापित/प्रभावित मछुआरों की समितियों का गठन**

सिंचाई परियोजना के निर्माण के साथ ही उससे विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले वंशानुगत मछुआ जाति को मत्स्य पालन /मत्स्य विकास के अधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे ।

2.4 दो सीज़न तक यदि कोई सदस्य पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद मत्स्याखेट नहीं करता है तो परीक्षण उपरांत उसकी सदस्यता समाप्त की जावे।

2.5 नवीन समितियां उन स्थानों पर ही गठित की जावें जहॉ जलक्षेत्र उपलब्ध है एवं पूर्व से कोई समिति गठित नहीं है । नवीन समितियों का गठन पूर्ण परीक्षण एवं जांच उपरांत सहकारिता विभाग एवं मछली पालन विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा पूरी सावधानी से किया जावे ।

2.6 किसी भी प्राथमिक सहकारी समिति के पंजीकरण के समय 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

Deputy Director of Fisheries
Director of Fisheries
M.P. BHOPAL